

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-1

ज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

मुकाम - सवाई माधोपुर

कमला

बनाम शंभू

केस मुकदमा

RTA 225

मुकदमा नं.

31/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/02/23	<p>अपील एड. श्री आशीष कुमार जैन द्वारा अपील विरुद्ध आदेश 11.7.2022 मजिस्ट्रेट दिनांक 28/12/2022 मुकदमा नम्बर 70/2022 के RTA 225 के अन्तर्गत पेश हुई बाढ़ जांच रिपोर्ट होकर दिनांक 01/02/2023 को पेश हो गई।</p>	
01/02/2023	<p>पत्रावली जांच बाढ़ रिपोर्ट होकर पेश हुई रिपोर्ट सरिता का अवलोकन किया गया अपील मिमाद बन्दर है, प्रवक्ताधिकार क्षेत्र की ही अधिवक्ता अपीलेंट हुए एक पत्रिका बहस करना चाहे पल्ल अधिवक्ता रैस्पों. द्वारा समय चाहा गया है अधिवक्ता रैस्पों हुए प्रस्तुत वकालतनामा शामिल मिसल हो वाते उभयपक्षकारण बहस अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा दिनांक 14/02/23 को पेश हो गई।</p>	
14/02/23	<p>पत्रावली वाते बहस बावत अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा के पेश हुई बहस उभयपक्षकारण अधिवक्ता की सुनी गई वाते आदेश 20/2/23 को पेश हो गई।</p>	
20/02/23	<p>पत्रावली वाते आदेश हेतु पेश हुई समझौता के कारण पत्रावली आदेश हेतु 24/02/23 को पेश हो गई।</p>	
27/02/23	<p>पत्रावली वाते आदेश हेतु पेश हुई वकालत फाईल की बहस पर मनन किया गया रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह अपील अदालत मातहत उपवक्ता अधिकारी सगाण के आदेश</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान.....कि.म.ल......बनाम.....2.2.23.....

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहमद हुकम</p>
<p>प्रमाणित हुकम</p>	<p>दिनांक 11.7.2022 के क्रम में 18/12/2022 अन्तर्गत आर्षाद निषेधाज्ञा के विलुक्त घटा की गई है रिक्त के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलान्त के दृष्टि अन्तर्गत अपील मीमा के साथ कोई ऐसा दातावेज संलग्न नहीं है जिसे यह प्रकट हो कि अपीलान्त विवादित आराजी-मत की खातेदार काश्तकार है अतः अपीलान्त द्वारा अपील के संबंध में आवश्यक दातावेज के अभाव में अपनारहित सिद्ध कर पाने में असफल रहने के कारण अपील को खारिज योग्य पाये जाने से, खारिज की जाती है। पत्रावली फौजदारी 27/12/23 को सुनाया गया।</p>	